समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण अपील संख्या–05/2015

सोगरा खातुन

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

23.08.2018

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या–66/2012, झारखण्ड राज्य सरकार (वन क्षेत्र पदाधिकारी, तेनुघाट)–बनाम्–सोगरा खातुन में दिनांक–21.04.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील भारतीय वन अधिनिययम–1927 की धारा 52A के अन्तर्गत दायर किया गया है।

वाद का सार यह है कि दिनांक–15.10.2012 को वन परिसर पदाधिकारी, गोसे अन्य वनकर्मियों के साथ चीतू अधिसूचित एवं सीमांकित सुरक्षित वन भूमि में गस्ती कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि एक ट्रैक्टर जिसके ट्रेलर पर पत्थर/बोल्डर लदा हुआ था, वन से निकल रहा है। वनकर्मियों को देखते ही हासिम अंसारी उर्फ फारूख (जिन्हें पहचाना गया) कूदकर भाग गया। पीछा करने पर हासिम अंसारी उर्फ फारूख भागने में सफल रहा किन्तु वनकर्मियों के द्वारा ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पश्चात घटना स्थल पर जप्ती सूची तैयार करते हुए ट्रैक्टर चालक संतोष राव पिता चगटु राव, रा0 होरिर टोला, थाना गोगियां जिला बोकारो का बयान दर्ज जेल भेज दिया गया तथा बिना नं0 प्लेट का पावर ट्रैक्टर जिसका इंजन नं0–T 77010010, चेचिस नं0–T 992000008 (Mark Power Track) एवं इसके ट्रेलर पर लदा 100 cft पत्थर/बोल्डर, एक हथौड़ा और एक बेलचा को अवैध मानते हुए अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि के अन्दर परिवहन करने के जुर्म में भारतीय वन अधिनिययम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा–33, 41 एवं 42 का उल्लंघन के आरोप में भारतीय वन अधिनिययम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 52(3) के अन्तर्गत राज्यसात की कार्यवाही की गई तथा राज्य सरकार के हित में संबंधित वाहन एवं उस पर लदे 100 घनफीट पत्थर/बोल्डर, एक हथौड़ा तथा एक बेलचा को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात किया गया है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दलील दिया गया कि जप्त पत्थर/बोल्डर वन पदार्थ नहीं है। प्रश्नगत पत्थर/बोल्डर Project officer, सी0सी0एल0, कथारा के द्वारा साड़म पूर्वी पंचायत के मुखिया रहमतु निशा के आवेदन पर सड़क मरम्मति के लिए उपलब्ध कराया गया था। प्रश्नगत वाहन तेनुघाट के तीन नम्बर से ड्राईवर के साथ ले जाया गया और झूठा मुकदमा दायर किया गया है। उनके अधिवक्ता के द्वारा यह भी दलील दिया गया कि इस राज्यसात वाद से संबंधित वाद में मान्नीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेरमों (तेनुघाट) के Forest Case no. 69/2012 में दिनांक–12.09.2017 को आदेश पारित करते हुए वाद से संबंधित आरोपियों को दोषमुक्त किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन इस वन वाद में कैसे संलिप्त हो सकता है। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अभिलेख में कोई ऐसा कागजात नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि प्रश्नगत पत्थर/बोल्डर अधिसूचित वन भूमि का है। अंत में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उक्त Forest Case no. 69/2012 में दिनांक–12.09.2017 को पारित आदेश के आलोक में जप्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक द्वारा दलील दी गई कि प्रश्नगत वाहन को अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के अन्दर अवैध रुप पत्थर परिवहन करते हुए जब्त किया गया। अनुसंधान के दौरान वनपाल, गोसे वन परिसर द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें चितू सुरक्षित वन के प्लांट नं0–308 में पत्थर खनन के चिन्ह् मिलने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। ट्रैक्टर पर जप्ती के समय नम्बर प्लेट का नहीं लगा होना वाहन मालिक के दूषित मंशा को दर्शाता है। जहाँ तक मान्नीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेरमों (तेनुघाट) के Forest Case no. 69/2012 में दिनांक–12.09.2017 को आदेश पारित करते हुए संबंधित आरोपियों को दोषमुक्त करने की बात है वह इस न्यायालय के राज्यसात अपील से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि दोनो भिन्न अपराध है। अंत में उन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखे जाने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जब्त बिना नं0 प्लेट का पावर ट्रैक्टर जिसका इंजन नं0–T 77010010 एवं चेचिस नं0–T 992000008

(Mark Power Track) के चालक द्वारा सीमांकित सुरक्षित वन भूमि के अन्दर अवैध रूप से पत्थर बोल्डर उत्खनित कर उसका परिवहन किया जा रहा था। जो कि वन अपराध है। भारतीय वन अधिनियम की धारा–2(4)(b)(iv) के अन्तर्गत सुरक्षित वन क्षेत्र से खनन किया गया पत्थर Forest produce है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जिस वाहन को छोड़ने का अनुरोध किया गया है, उसका चेचिस नं0 तथा इंजन नं0 वह नहीं है के संदर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो से प्रतिवेदन की माँग की गई थी जो प्राप्त है। उनके प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जप्त ट्रेक्टर का चेचिस नं0–T 992001008 (Mark Power Track) है। टंकणीय भूल से चेचिस नं0–T 992000008 (Mark Power Track) अंकित हो गया था। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि जप्त वाहन, वन अपराध में सलिप्त नहीं था, का कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक मान्नीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेरमों (तेनुघाट) के Forest Case no. 69/2012 में दिनांक–12.09.2017 को आदेश पारित करते हुए संबंधित आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है वह इस न्यायालय के राज्यसात अपील से कोई सबध नहीं रखता है, क्योंकि दोनो अपराध एक दूसरे से भिन्न है।

वर्णित परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या–66/2012, झारखण्ड राज्य सरकार (वन क्षेत्र पदाधिकारी, तेनुघाट)–बनाम्–सोगरा खातुन में दिनांक–21.04.2015 को पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

23.08.18 | 23.08.18

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो। | समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 1264 Dated 9/8/19

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.07 17:57:18 +05:30
Location: 192.168.1.104